



भीण्डर आवासीय योजना के पंजीकृत एवं अपंजीकृत आवेदकों के लिये खुली बिक्री योजना वर्ष 2011 के माध्यम से नकद भुगतान पद्धति पर आवासों को आवंटन

योजना के आवेदन फॉर्म
बिक्री हेतु तिथि
23.05.2011
से 31.05.2011 तक
(कार्य दिवस/समय)

आवेदन फॉर्म जमा कराने
की तिथि 31.05.2011
(सायं 5.00 बजे तक)

आवास आवंटन लॉटरी
तिथि 02.06.2011
(समय सायं 3.00 बजे से)

राजस्थान आवासन मण्डल की भीण्डर आवासीय योजना जिला उदयपुर में पूर्व पंजीकृत (सामान्य/विशिष्ट पंजीकरण) एवं अपंजीकृत आवेदकों हेतु विभिन्न आय वर्ग के निर्मित आवासों का नगद भुगतान पद्धति में आवंटन किया जाना है।

उपलब्ध आवासों की संख्या, आय वर्ग, नम्बर, लागत एवं देय पंजीकरण राशि का विवरण

क्र. सं.	आय वर्ग	आवास संख्या एवं नम्बर	स्टेण्डर्ड क्षेत्रफल (वर्ग मी.)	लागत रु. प्रति आवास	आवेदन पत्र के साथ देय राशि		कुल देय ड्राफ्ट राशि का योग
					पंजीकरण राशि	पूर्व ग्रहण राशि की प्रथम किस्त	
1	EWS	D-8,D-12,G-3, G-7, G-13, G-18 =06	3.75x8.00	152000.00	5000.00	7000.00	12000.00
2	LIG	A-19, A-26, A-27 D-15, D-16,D-17, D-20, D-21 = 08	6.00x12.00	449000.00	15000.00	10000.00	25000.00
3	MIG-A	D-28, D-29, D-30, D-31 = 4	6.00x15.00	636800.00	50000.00	40000.00	90000.00
4	MIG-B	B-1 =1	8.00x15.00	883200.00	80000.00	70000.00	150000.00

- लागत के अतिरिक्त लीज राशि, विविध खर्च, कार्नर चार्ज एवं अतिरिक्त भूमि की राशि बोर्ड के नियमानुसार देय है।
- आवासों का आवंटन प्रस्तुत आवेदन फॉर्म में अंकित विकल्प के क्रम में किया जायेगा।
- आवासों का आवंटन "जहां है जैसा है" की स्थिति पर किये जावेंगे तथा इस विषय में कोई आक्षेप स्वीकार नहीं किया जावेगा।
- इस योजना में पूर्व पंजीकृत एवं अपंजीकृत आवेदकों के आवेदन स्वीकार किये जायेंगे।
- योजना के पूर्व आवेदकों को आवंटन में प्रथम बरीयता दी जावेगी।
- आवास के आवंटन हेतु आवेदन फॉर्म मूल आवेदक स्वयं के उपस्थित होने पर ही स्वीकार किये जायेंगे तथा उपस्थित मूल आवेदकों की फोटोग्राफी एवं वीडियोग्राफी भी की जावेगी।
- योजना में प्रस्तावित किसी भी आवास को लेकर विवाद उत्पन्न होता है तो उक्त आवास के संबंध में निर्णय करने के लिये मण्डल स्वतंत्र होगा।
- योजना के नियम, शर्तें एवं अन्य विवरण का उल्लेख आवेदन फॉर्म में वर्णित है।
- आवेदकों को पहचान स्वरूप पहचान पत्र, पासपोर्ट, फोटो युक्त राशनकार्ड, ड्राईविंग लाईसेंस इत्यादि में से एक की छाया प्रति एवं पते के प्रमाण स्वरूप पानी, बिजली, टेलीफोन बिल में एक की सत्यापित छायाप्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करनी होगी।
- पूर्व पंजीकृत आवेदकों को पंजीकरण से सम्बन्धित साक्ष्य एवं पूर्व पंजीकरण के अन्तर्गत जमा राशि के रिफण्ड नहीं होने तथा पंजीकरण के अन्तर्गत कोई अन्य आवास आवंटित नहीं होने का 10/- रुपये के न्यायिक के स्टाम्प पेपर पर नोटरी से सत्यापित शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- खुली बिक्री योजना के आवेदन पत्र 100/- रु. का नगद भुगतान जमा कर दिनांक 23.05.2011 से कार्यालय समय में प्राप्त किया जा सकते हैं।

सम्पर्क सूत्र

परियोजना अभियन्ता (व.)
राजस्थान आवासन मण्डल, भीण्डर
फोन नं. 7665430304

आवासीय अभियन्ता
राजस्थान आवासन मण्डल,
खण्ड प्रथम, उदयपुर
फोन नं. 0294-2583108